

सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया गया जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण प्रारम्भिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अन्तर्गत् को दूर करने तथा अधिगम को गुणावला में सुधार हेतु विविध अन्तः क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ नये स्कूल खोला जाना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएँ प्रदान करना नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं वदियाँ तथा अधिगम स्तरों/परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है।

सर्व शिक्षा अभियान एक जिला आधारित एक विशिष्ट केन्द्रित योजना है इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने की रणनीति अपना कर कार्य किया जा रहा है।



यह योजना पूरे देश में लागू की गई है। इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया है और इसमें सभी प्रमुख सरकारी किया गया है।

इस अभियान के अन्तर्गत राज्यों की भागीदारी से 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2020 तक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

सभी बच्चों को अपने जीवन की बेहतरीन का अधिकार है।

लेकिन दुनियाभर के बहुत सारे बच्चे इस अवसर के अभाव में ही जी रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा जैसे अनिवार्य मूलभूत अधिकार भी मुहैया नहीं कराई जा रहा है।

भारत में बच्चों को साक्षर करने की विशा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 के अन्त तक भारत में 94% ग्रामीण बच्चों को उनके आवास से 1 किमी की दूरी पर



प्राथमिक विद्यालय एवं इ किमी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएँ उपलब्ध थी। अनुसूचित जाति व जनजाति बच्चों के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम बंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1950-1951 में जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.2 मिलियन बच्चों ने नामांकन लिया था वही 1997-98 में इसकी संख्या बढ़कर इनकी संख्या बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई। उसी प्रकार 1950-1951 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 0.223 मिलियन थी जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.745 मिलियन हो गई एवं अनुमान के



मुताबिक वर्ष - 2002-03 में 6-14

आयु वर्ष के 82% बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अन्त तक 100% तक पहुँचाना है। जैसा की हम सभी जानते हैं कि विश्व से स्थाई रूप से गरीबी को दूर करने और शान्ति व सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जरूरी है। दुनिया के सभी देशों के नागरिकों एवं उसके परिवारों को अपनी पसन्द का जीवन जीने का विकल्प चुनने में सक्षम बनाया जाय। इस लक्ष्य को पाना तभी तक सम्भव है जब दुनिया भर के बच्चों को कम से कम प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से उच्च स्तरीय स्कूली सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाय।



शैक्षिक प्रशासन →

शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख धारा में सुधार संस्थागत विन्यास की नयी पहल को शामिल करके और लागत प्रभावी और कुशल पद्धतियाँ अपना कर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार करने की अपेक्षा है।

पूर्ण पारदर्शिता युक्त सामुदायिक निरीक्षण

इस कार्यक्रम में सामुदायिक आधारित पद्धति अपनानी जायेगी शैक्षिक प्रबन्धन सूचना पद्धति, माइक्रो योजना और सर्वेक्षण से समुदाय आधारित सूचना के साथ स्कूल आधारित सूचना / आकड़ों का सम्बन्ध स्थापित करेगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल एक नोटिस बोर्ड रखेगा जिसमें स्कूल द्वारा प्राप्त किये गये सारे अनुदान और अन्य गौरी दर्ज किया जायेगा।

इकाई योजना के रूप में बस्ती →

सर्व शिक्षा अभियान आयोजन की इकाई के रूप में



समुदाय के प्रति जबाब देही →

अभियान में शिक्षकों, अभिवावकों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच सहयोग तथा जबाब देही एवं पारदर्शिता की परिकल्पना की गयी है।

लड़कियों की शिक्षा →

लड़कियों से तात्पर्य अनुसूचित जातों की लड़कियों एवं जाति की लड़कियों की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान की एक प्रमुख बाध्य है।

विशेष समूह पर ध्यान →

अनुसूचित जाति एवं जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों और विकलांग बच्चों की शैक्षिक सह भागीता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

परियोजना पूर्ण चरण → 89th अभियान पूरे देश में लागू करना